सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1212/CG/3/2022-ESDW **दिनांक: 13.02.2023**

सेवा में,

श्रीमती शम्मी आबिदी,
आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार
ब्लॉक डी, भूतल इन्द्रावती भवन नया रायपुर
रायपुर -492015 (छत्तीसगढ़)
ई मेल: ctd.cg@nic.in

विषय: छत्तीसगढ़ **अनुसूचित जनजाति सूची क्र. 32 पर जाति नगसिया, नगसीया (मात्रात्मक त्रुटि सुधारकर) को जोड़े जाने के संबंध मे श्री भरत लाल नगसिया, अध्यक्ष, आदिवासी नगसिया सुधार समिति-रायगढ़, ग्राम बांझिआमा, पोस्ट-बैरागी, तहसील-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ का दिनांक 06.12.2022 का अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री भरत लाल नगसिया से दिनांक 06.12.2022 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

1859-60
जारी किया 14/2/23
ISSUED

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर.मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री भरत लाल नगसिया,
अध्यक्ष,
आदिवासी नगसिया सुधार समिति-रायगढ़,
ग्राम बांझिआमा, पोस्ट-बैरागी,
तहसील-धरमजयगढ़,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़